निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 20 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के माह 01/2017 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजीव कुमार एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री आलोक कुमार लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 07/06/2018 से 20/06/2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर.एन. यादव एवं श्री अमित टण्डन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 25/01/2017 से 02/02/2017 तक में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/12 से 12/16 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(2) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत सल्ट, रानीखेत, जागेश्वर, भिकियासैड़, सोमेश्वर।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+) ₹**	**बचत (-) ₹**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय लाख**	**आवंटन**	**व्यय**		
2016-17	-	-	100.31	100.31			-	-
2017-18	-	-	97.05	97.05			-	-
2018-19(05/18) तक	-	-	87.87	17.74			-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई का बजट आवंटन राज्य द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है ।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष

मुख्य अभियंता

अधीक्षण अभियंता

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में मार्गों का सुधारीकरण कार्यालय को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।

(vi) रानीखेत, जालली, मासी का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखा परीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 21/03/18 से 25/03/18 तक लेखा परीक्षा की गई ।
4. खण्ड के भंडार लेखों की अर्धवार्षिक लेखा बंदी तथा यंत्र संयंत्र लेखो की वार्षिक लेखा बंदी क्रमशः माह 30/09/17तथा 30/09/17 तक की गई।

5. **फॉर्म-51**: माह 05/2018 तक कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखंड को प्रेषित किया जा चुका है। जिसके प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है

   भाग प्रथम- रुपए शून्य
   भाग द्वितीय- रुपए 10,000
6. खण्ड के उच्चन्तलेखो के अवशेष 05/2018 के अंत में

   1.नकद परिशोधन- शून्य
   2.सामग्री क्रय- शून्य
   3.निक्षेप पंजिका- ₹ 38,69,37,182
   4.प्रकीर्ण अग्रिम- शून्य
   5.भंडार- शून्य

भाग-2 (अ)

प्रस्तर-1 विभाग द्वारा वितीय नियमो की अवहेलना कर बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये कार्य करना एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹7.29 करोड़ का व्ययाधिक्य एवं परिहार्य व्यय ।

जनपद अल्मोड़ा में Asian Development Bank पोषित उत्तराखंड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम, फेज-3, पैकज-4 के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र रानीखेत,ब्लाक भिकियासैंण में रानीखेत-जालली मासी मोटर मार्ग, (लंबाई 61.575 कि0मी0, जिसकी सतह premix carpet से बनी थी) के सुधारीकरण का कार्य हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा ₹ 4243.68 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (06/2012)।,परियोजना निदेशक/मुख्यअभियंता, पी0एम0यू0, ए0डी0बी0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा उक्त कार्य की ₹ 4243.68 लाख की प्राविधिक स्वीकृति (टीएस) प्रदान की गयी (04/2013)। निर्माण कार्य हेतु एक अनुबंध 22/पीडी /पी एएम यू/एडीबी/2014 दिनाक 18-09-2014 Ms MBL Infrastructure Ltd. के साथ लागत ₹ 217.03 करोड़ (कुल 15 मार्गो जिसमे उक्त मार्ग भी शामिल था) गठित किया गया था जिनके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमशः 18/09/2014 एवं 20/08/2015 थी । कार्य की प्रगति यथानुरूप न होने के कारण अनुबंध दिनांक 04-08-2016 को समाप्त कर दिया गया था । प्रश्नगत मार्ग के सुधार कार्य हेतु दोबारा एक revised estimate लागत ₹ 4868.90 लाख (पहले के आगणन से ₹ 6.25 करोड़ अधिक) का तैयार किया गया था जिसके सापेक्ष पुन; दो अनुबंध 03/PD/PMU/ADB/PWD/2016 dated 30/12/2016 (0 to 31 km against ₹ 15.59 करोड़) एवं 04/PD/PMU/ADB/PWD/2016 dated 30/12/2016 (31to 61.5 km against) ठेकेदार Ms Woodhill Infrastructure Ltd के साथ गठित किये गए थे जिनके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमशः 21/01/2017 एवं 20/01/2018 थी। कार्य 20/01/2018 को समाप्त हो चुका था ।

As per clause 383 of Financial Hand Book Vol-VI "Where important structural alterations are contemplated, though not necessarily involving an increased outlay, the orders of the original sanctioning authority should be obtained. A revised estimate should be submitted for technical sanction should the alterations involve any substantial change in the cost of the work." Further, as per clause 375- (a), it is a fundamental rule that no work shall be commenced unless a properly detailed design and estimate have been sanctioned.

As per the Detailed Project Report (DPR) of the road, prepared by the Consultants of ADB, the Ranikhet-Jallimasi road was an ODR, having length 61 575 km and 3.75 width, **single bituminous road having local**

and very low traffic. The road was proposed to be improved with patch repair with BM plus 25 mm SDBC in single lane i.e 3.75 meter wide width. **However, as per the minutes of meeting held on 30-06-10 at PMU in the presence of OSD and Project Director, ADB (Roads), PWD, Dehradun with the representative of the Design Consultants,USRIP, Phase-III it was decided** that the State Highways and Major District Roads are to be improved to intermediate lane width with provision of 50 mm BM and 25 mm SDBC. **The Other District Roads (ODR's) and Village Roads (VRs) may be improved with surface dressing P-1 and 25 mm SDBC or Premix Carpet** with paver considering the EIRR (Expected Rate of Return) for the Road. Earthen roads and widening of existing bituminous roads of category ODRs & VRs may be improved with G1, G2, G3, P1 and 25 mm SDBC/20 mm PC. **Further, the consultants were advised by the PMU, Dehradun to reduce the overall cost of improvement by omitting the profile corrective course with BM and introducing patch repair in place allowing locally available construction materials within a lead of 3 km for sub-base works.**

परियोजना निदेशक,पीएम् यु, एडीबी, देहरादून द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार (17.5.2016) मार्ग पर profile correction से पूर्व मार्ग पर Profile correction की मात्रा एवं मोटाई का वास्तविक आकलन करने हेतु मार्ग का Profile survey किया जाना था **तथा मार्ग पर Profile correction करने हेतु Profile correction के सन्दर्भ में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा जारी दिशा निर्देशों (02.08.2014) का पालन किया जाना था |**

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड-II, एडीबी, लो॰नि॰वि॰, अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों की जांच में पाया गया कि

- प्रश्नगत कार्य के आगणन में में structural change [1] होने के बावजूद वित्तीयनियमानुसार तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी, खंड द्वारा अनुबंध गठित करने एवं कार्य प्रारम्भ करने के 4 माह बाद आगणन तकनीकी स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया था .परन्तु वर्तमान तक तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी जबकि निर्माण कार्य समाप्त हो चुका था (01/2018)I इस प्रकार खंड द्वारा उक्त वित्तीय नियमो का उल्लंघन किया गया।
    - खंड द्वारा परियोजना निदेशक,पीएम् यु ,एडीबी ,देहरादून के निर्देशों (5/2016)की अवहेलना की गई और मार्ग पर BM से profile correction के प्रावधान से पूर्व मार्ग पर Profile correction course की मात्रा एवं मोटाई का वास्तविक आकलन करने हेतु मार्ग का Profile survey नही करवाया गया जिससे की मार्ग पर BM की वास्तविक मात्रा, **BM** की आवश्यकता या अन- आवश्यकता का आकलन करना था। खंड द्वारा नए आगणन में BM से profile correction करने हेतु 10550 cum का प्रावधान

[1] BM की मात्रा पहले शून्य थी बाद में 10550 cum का प्रवधान किया गया, Primer coat व अन्य items का प्रवधान किया गया WBM, SDBC की मात्रा बढ़ी व कुछ मदे हटाई गयी

किया गया । यह मात्रा कहॉ से ली गयी , कैसे मापी गयी ये नए आगणन के Detailed Measurement एवं अन्य अभिलेखों से स्पष्ट नहीं होता है ना ही खंड इससे स्पष्ट कर सका क्योकि पूर्व के आगणन (Terminated) में BM से patch repair प्रावधान शून्य था I

- आगे जाँच में यह भी पाया गया कार्यो की पूर्व एवं मुख्य Detailed Project Report में स्पष्ट था की मार्ग एक other district road है, इस पर traffic बहुत कम था एवं केवल local traffic था एवं मार्ग स्थानीय ग्रामो को जोड़ने के लिए था I इसके अतिरिक्त, जैसा की consultants को निर्देश थे की मार्ग पर कार्यो की लागत को कम करने के लिए BM से Profile correction course के स्थान पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री से patch repair किया जाना था एवं प्रश्नगत मार्ग के सन्दर्भ में इसके आगणन से भी स्पष्ट है मार्ग पर patch repair हेतु BM की मात्रा की आवश्यकता शून्य थी, इसके बावजूद पूरे मार्ग पर महंगे item 40 mm से Profile correction course किया गया जो परिहार्य था साथ ही खंड द्वारा DPR में वर्णित प्रावधानो का उल्लंघन तो किया ही उच्चाधिकारियों के निर्देशों का भी उल्लंघन किया गया
  - खंड द्वारा Profile correction के सन्दर्भ में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा जारी दिशा निर्देश) 02.08.2014) जिसमे स्पष्ट था कि - “If laid as a separate layer before renewal of the existing bituminous surface, and when strengthening of the existing pavement is not required, the profile corrective course shall be laid with one or more layers of 20 mm thick Premix Carpet depending upon the thickness of the profile corrective course required.When the existing surface is granular in nature or where the old bituminous layer has been scarified and the required thickness of the profile corrective course is over 40 mm, the profile corrective course shall be with WBM (G3) material. If, however ,the required thickness of the profile corrective course is less than 40 mm, the profile corrective course shall be of 20mm thick Premix Carpet.” का पालन नहीं किया गया और Profile correction PC के स्थान BM से कराया गया I

इस प्रकार उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि खंड द्वारा उक्त वित्तीय नियमो का उल्लंघन कर बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये कार्य किया गया ,उच्चाधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन किया गया और मार्ग का प्रोफाइल सर्वे नहीं किया गया I प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा जारी दिशा निर्देशों (02.08.2014) का पालन न कर Profile correction course को 20 mm thick Premix

Carpet के स्थान पर BM से करवाया गया जिस पर ₹ 7.29 crore [2] का व्ययाधिक्य किया गया जो परिहार्य व्यय था ।

प्रकरण इंगित करते हुए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं किये जाने के बारे में पूछे जाने पर खंड द्वारा बताया गया की revised estimate की वित्तीय एवं प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है जो अनुबंध terminate हुआ है उसके सापेक्ष TS ली गयी थी, बिना detailed measurement किये नए आगणन में BM एवं अन्य मदों की quantities कहां से ली गयी के बारे में पूछे जाने पर खंड ने बताया की मात्राओ की गणना पूर्व अनुबंध (terminated) में से किये गए कुल कार्यो की मात्रा घटा कर की गयी, परियोजना निदेशक के आदेशानुसार Profile correction हेतु BM की मात्रा का निर्धारण हेतु मार्ग का Profile survey क्यों नही करवाया गया के सम्बन्ध में पूछे जाने पर बताया गया की DPR 2010 में बनी थी कार्य 2017 में होने के कारण सड़क की सतह बहुत खराब हो चुकी थी इस कारण BM से profile correction पूरे मार्ग में करवाया गया, Profile correction के सन्दर्भ में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा जारी दिशा निर्देशों (02.08.2014) का पालन न किये जाने के बारे में पूछे जाने पर बताया की मोटर मार्ग की सतह अत्यंत खराब होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा उच्चाधिकारियों के मौखिक निर्देशों के अनुसार 40 mm as profile corrective कराया गया सभी कार्यो को स्वीकृत TS के अन्दर ही पूर्ण कराया गया, खंड द्वारा आगे बताया कि MORTH ke section 501.8.3.4 profile corrective course 40 mm तक होता है इस कारण यहाँ 40 mm BM as profile corrective course कराया गया है ।

खंड का उत्तर मान्य नहीं है-

I. प्रश्नगत मार्ग के आगणन में structural change होने के कारण उक्त वित्तीय नियम के अनुसार आगणन पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी । उच्चाधिकारियों द्वारा खंड को आगणन को तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के लिए लिखा भी गया, परन्तु खंड द्वारा आगणन स्वीकृति हेतु कार्य प्रारंभ करने के चार माह बाद भेजा गया था जिस पर कार्य समाप्त होने के लगभग 06 माह बाद भी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं थी

II. जहां तक पूर्व आगणन (terminated bond) से qantities घटा कर नए आगणन में लेने की बात है तो पूर्व आगणन में पैच रिपेयर के लिए BM की मात्रा शून्य थी जबकि नए

---

[2] BM पर कुल व्यय ₹ 82358843 minus PC (@ ₹208.40)with tack coat पर कुल व्यय ₹ 9407110=72951732 say 7.29 crore

आगणन में Profile correction course हेतु BM की 10550 cum मात्रा ली गयी थी, जो बिना detailed measurement एवं बिना Profile survey किये किस आधार पर ली गयी खंड यह स्पष्ट नहीं कर सका था ।

III. खंड द्वारा profile correction से पूर्व मार्ग पर Profile correction की मात्रा एवं मोटाई का वास्तविक आकलन करने हेतु मार्ग का Profile survey किया जाने सम्बन्धी परियोजना निदेशक ,पीऍमयु, एडीबी ,देहरादून के)17.5.2016) का पालन नहीं किया गया

IV. खण्ड द्वारा वित्तीय नियमो एवँ उच्चाधिकारियों के circulars/orders का पालन करना चाहिए था न कि क्षेत्रीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों का।

V. खंड द्वारा प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा जारी दिशा निर्देशों) 02.08.2014) का पालन जिसमे Profile correction course को 20 mm thick Premix Carpet से किया जाना था एवं इन निर्देशों का पालन करने का परियोजना निदेशक द्वारा भी आदेश दिया गया था का पालन नहीं किया गया और Profile correction course को BM से करवाया गया खण्ड द्वारा MORTH के जिस CLAUSE का सन्दर्भ लिया गया है उसमे स्पष्ट है कि जहाँ पर Profile corrective course की अधिकतम सीमा 40 mm से अधिक हो तो Profile corrective course को integral part के रूप में overlay किया जायेगा, परन्तु यहाँ प्रशनगत प्रकरण में मार्ग का प्रोफाइल survey ही नहीं किया गया जिससे मार्ग पर BM की कितनी मात्रा की आवश्यकता थी गणना नहीं की गयी।

<u>भाग -II अ</u>

प्रस्तर-2 विभाग द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 2.89 करोड़ का व्ययाधिक्य ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड- 2, ए॰डी॰बी॰, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के अभिलेखों की लेखा परीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि जनपद अल्मोड़ा में एशियन डेवलपमेंट बैंक पोषित उत्तराखंड सड़क निवेश कार्यक्रम फेज- III के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत मझखाली- सोमेश्वर मोटर मार्ग का सुधार / सुदृढ़ीकरण कार्य (लंबाई - 23.110 कि0मी0) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 292/III (3)/2012-903(ए॰डी॰बी॰)/08 टी॰सी॰ दिनाक 18.06.2012 के द्वारा 23.11 किमी हेतु लागत ` 1844.52 लाख की प्राप्ति हुई थी। प्राप्त स्वीकृति के क्रम में पी0एम0यू0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1760 (7)/65 पी0एम0यू0 ए0डी0बी0 (सड़क)/2013 दिनांक 17.04.2013 के माध्यम से उक्त कार्य हेतु रु॰1844.52 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी । उक्त मार्ग का पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 453/III (3)/17-903(ए॰डी॰बी॰)/2008 टी॰सी॰-1 लोक निर्माण अनुभाग-3 दिनाक 09.06.2017 द्वारा रु0 2605.65 लाख की प्राप्ति हुई थी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति लागत रु0 2605.65 लाख हेतु परियोजना निदेशक/मुख्य अभियंता, पी0एम0यू0 ए0डी0बी0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को दिनाक 17.07.2017 को प्रेषित की गयी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति परियोजना निदेशक/मुख्य अभियंता, पी0एम0यू0 ए0डी0बी0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के पत्रांक 1594(c)/06(TS)पी0एम0यू0 ए0डी0बी0 (सड़क)/2017 दिनाक 06.09.2017 के द्वारा प्रदान की गई।

As per the report of DPR, the road Majhkhali-Someshwar was a ODR and single bituminous road before Improvement / Strengthening.

Further, As per the minutes of meeting held on 30-06-10 at PMU, ADB(Roads), PWD, Dehradun with the representative of the Design Consultants USRIP, Phase-III, the following points were discussed during the meeting and improvement measures as suggested by the OSD and Project Director were noted by the Consultants for incorporation in the reports.

1. The State Highways and Major District Roads are to be improved to intermediate lane width with provision of 50 mm BM and 25 mm SDBC. The

Other District Roads (ODR's) and Village Roads (VRs) may be improved with surface dressing P-1 and 25 mm SDBC or Premix Carpet with paver considering the EIRR (Expected Rate of Return) for the Road.

2. Earthen roads and widening of existing bituminous roads of category ODRs & VRs may be improved with G1, G2, G3, P1 and 25 mm SDBC/20 mm PC.

उक्त सुधार / सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु M/s MBL Infrastructure Ltd. के साथ लागत रु0 2,17,03,72,400.00 का अन्य 14 सुधार / सुदृढ़ीकरण कार्यों को सम्मिलित करते हुए अनुबंध संख्या 22/PD/PMU/ADB/2014 दिनांक 18.09.2014 गठित किया गया था जिसे बाद में कुछ कार्य एवं भुगतान के पश्चात निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद उक्त कार्य हेतु M/s Woodhill Infrastructure Limited के साथ लागत रु0 13,08,45,815.00 का अनुबंध संख्या 06/PD/PMU/ADB/PWD/2016 दिनांक 30.12.2016 गठित किया गया उक्तानुसार कार्य प्रारभ्भ की तिथि 23.01.2017 एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि 22.10.2017 थी।

As per the Detailed Project Report(DPR) of the road, prepared by the Consultants of ADB,the Majhkhali-Someshwar road was an ODR, having length 23.110 km and 3.75 width, single bituminous road having local and very low traffic. The road was proposed to be improved with patch repair with BM plus 25 mm SDBC insingle lane i.e3.75 meter wide width. However, as per the minutes of meeting held on 30-06-10 at PMU in the presence of OSD and Project Director, ADB (Roads), PWD, Dehradun with the representative of the Design Consultants,USRIP, Phase-III it was decided that the State Highways and Major District Roads are to be improved to intermediate lane width with provision of 50 mm BM and 25 mm SDBC. The Other District Roads (ODR's) and Village Roads (VRs) may be improved with surface dressing P-1 and 25 mm SDBC or Premix Carpet with paver considering the EIRR (Expected Rate of Return) for the Road. Earthen roads and widening of existing bituminous roads of category ODRs & VRs may be improved with G1, G2, G3, P1 and 25 mm SDBC/20 mm PC. Further, the consultants were advised by the PMU, Dehradun to reduce the overall cost of improvement by omitting the profile corrective course with BM and introducing patch repair in place allowing locally available construction materials within a lead of 3 km for sub-base works.

परियोजना निदेशक,पीएम् यु, एडीबी, देहरादून द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार (17.5.2016) मार्ग पर profile correction से पूर्व मार्ग पर Profile correction की मात्रा एवं मोटाई का वास्तविक आकलन करने हेतु मार्ग का Profile survey किया जाना था तथा Profile correction करने हेतु Profile correction के सन्दर्भ में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा जारी दिशा निर्देशों (02.08.2014) का पालन किया जाना था |

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड-II, एडीबी, लो॰नि॰वि॰, अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों की जांच में पाया गया कि

उपरोक्त कार्य हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0 जिस पर कंसलटेंट के भी हस्तक्षार थे, के Details of Measurement प्रावधानों के अनुसार BM की Estimated Quantity शून्य थी जबकि गठित नए अनुबंध 06/PD दिनांक 30.12.2016 में 40 mm BM की मात्रा 4050 Cum दर्शाया गया जिसकी लागत रु॰ 319.95 लाख (7900 की दर से) थी जिसके सापेक्ष ठेकेदार को आतिथि तक 3719.73 cum BM हेतु रु॰ 2,93,85,893 का भुगतान किया गया। उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के विपरीत P1 के स्थान पर BM का कार्य किया गया।

- इस प्रकार खंड द्वारा परियोजना निदेशक,पीएम्यु ,एडीबी ,देहरादून के निर्देशों (5/2016) की अवहेलना की गई क्योकि पूर्व के आगणन (Terminated)में BM से patch repair प्रावधान शून्य था I
- आगे जाँच में यह भी पाया गया कार्यो की पूर्व एवं मुख्य Detailed Project Report में स्पस्ट था की मार्ग एक other district road है,इस पर traffic बहुत कम था एवं केवल local traffic था एवं मार्ग स्थानीय ग्रामो को जोड़ने के लिए था I इसके अतिरिक्त, जैसा की consultants को निर्देश थे की मार्ग पर कार्यो की लागत को कम करने के लिए BM से Profile correction course के स्थान पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री से patch repair किया जाना था एवं प्रश्नगत मार्ग के सन्दर्भ में इसके आगणन से भी स्पष्ट है मार्ग पर patch repair हेतु BM की मात्रा की आवश्यकता शून्य थी, इसके बावजूद पूरे मार्ग पर महंगे item 40 mm से Profile correction course   किया गया जो परिहार्य था साथ ही खंड द्वारा DPR में वर्णित प्रावधानो का उल्लंघन तो किया ही उच्चाधिकारियों के निर्देशों का भी उल्लंघन किया गया ।
- खंड द्वारा Profile correction के सन्दर्भ में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा जारी दिशा निर्देश) 02.08.2014) जिसमे स्पष्ट था कि –“If laid as a separate layer before renewal of the existing bituminous surface, and when strengthening of the existing pavement is not required, the profile corrective course shall be laid with one or more layers of 20 mm thick Premix Carpet depending upon the thickness of the profile corrective course required.When the existing surface is granular in nature or where the old bituminous layer has been scarified and the required thickness of the profile corrective course is over 40 mm, the profile corrective course shall be with WBM (G3) material. If, however ,the required thickness of the profile corrective course is less than 40 mm, the profile corrective course shall be of 20mm thick Premix Carpet.” का पालन नहीं किया गया और Profile correction PC के स्थान BM से कराया गया ।

इस प्रकार खंड द्वारा उक्त से स्पष्ट है कि खंड द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन किया गया और प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा जारी दिशा निर्देशों (02.08.2014) का पालन ना कर Profile correction course को 20 mm thick Premix Carpet के स्थान पर BM से करवाया गया जिस पर ₹ 2.89 crore[3] का परिहार्य व्यय किया गया।

पुनरीक्षित Detail of Measurement के अनुसार G1, G2 एवं G3 की मात्रा क्रमशः 1500 Cum, 1150 Cum एवं 1150 Cum लागत रु॰ क्रमशः 29,25,000, 22,42,500 एवं 22,42,500 का कार्य नए अनुबंध मैं किया जाना था जबकि उसके सापेक्ष ठेकेदार को क्रमशः 3526.51 Cum, 2680.12 Cum एवं 3296,67 Cum मात्रा हेतु क्रमशः रु॰ 68,76,701, 52,26,228 एवं 64,28,511 का आतिथि तक भुगतान किया गया। अनुबंध से दुगने से भी ज्यादा मात्रा मैं कार्य कराया गया तथा अनुमानित मात्रा एवं वास्तविक मात्रा मैं दुगने से भी ज्यादा अंतर रहा।

प्रकरण इंगित करते हुए पूछे जाने पर खंड द्वारा बताया गया कि कार्य के सापेक्ष पुराना अनुबंध टर्मिनेट हो गया था मार्ग कि स्थिति अत्यंत खराब होने के कारण एवं मा0 विधायक श्री मदन सिंह बिष्ट द्वारा अपने पत्र द्वारा BM करने हेतु लिखा गया था जिस कारण 40 एमएम BM Profile Corrective coarse कराया गया विधायक का पत्र प्रस्तुत है। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है-

VI. जहां तक पूर्व आगणन (terminated bond)से quantities घटा कर नए आगणन में लेने की बात है तो पूर्वे आगणन में BM के मात्रा पैच रिपेयर के लिए शून्य थी जबकि नए आगणन में Profile correction course हेतु BM की 4050 cum मात्रा ली गयी थी ।

VII. खण्ड द्वारा वित्तीय नियमो एवं उच्चाधिकारियों के circulars/orders का पालन करना चाहिए था न कि क्षेत्रीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों का।

VIII. खंड द्वारा प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा जारी दिशा निर्देशों) 02.08.2014) का पालन जिसमे Profile correction course को 20 mm thick Premix Carpet से किया जाना था एवं इन निर्देशों का पालन करने का परियोजना निदेशक द्वारा भी आदेश दिया गया था का पालन नहीं किया गया और Profile correction course को BM से करवाया गया प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

---

[3]BM पर कुल व्यय ₹29385893 minus PCपर कुल व्यय ₹515815=28870078 say 2.89 crore

STAN

प्रस्तर -1 जैनल-डोटियाल मार्ग पर रु. 43,37,555/- का अधिक भुगतान।

लेखापरीक्षा के दौरान खंड के कार्य जैनल-डोटियाल मार्ग के H. M. Plant Register (Page 1528-1614), Laying Register (Page 1614-1700) एवं MBs की जांच में पाया गया की BM तथा SDBC की जो मात्रा H. M. Plant Register से निकली वह Final Bill की मात्रा से कम थी (तालिका विवरण संलग्न) तथा H. M. Plant Register में किसी अभियन्ता के हस्ताक्षर भी नहीं थे। आगे कार्य के Laying Register के अनुसार कार्य की BM एवं SDBC क्रमशः 3 मार्च 2018 व 7 मार्च 2018 से हे कराया जा रहा था जबकि कार्य के अनुबंध का गठन 18 मार्च 2018 (Page 1868A-1868R) को किया गया व कार्य के शुरु होने की तिथि 20 मार्च 2018 थी।

उक्त की ओर इंगित करने पर खण्ड द्वारा बताया गया की जो H. M. Plant Register खण्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया वह किसी अन्य कार्य का H. M. Plant Register है व मार्ग का H. M. Plant Register उपलब्ध नहीं है जिसे ऑडिट के बाद में Reply के साथ उपलब्ध करा दिया गया। (Page 1702-1804)

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये नये H. M. Plant Register का मिलान कार्य के Laying Register से करने पर इन दोनों रजिस्टर के इंद्राज एक दूसरे से भिन्न हैं एवं पूर्व में उपलब्ध कराये गए H. M. Plant Register से Laying Register के इंद्राज़ मिलते हैं।

अतः कार्य जैनल-डोटियाल मार्ग पर रु. 43,37,555/- का अधिक भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

BM के लिए (तालिका विवरण)

H. M. Plant Register से निकली कुल मात्रा = 6117.78 मीट्रिक टन

मात्रा Cum में = 6117.78/2.2 = 2780.80 Cum

Bill में मात्रा = 3197.69 Cum

Difference = 416.89 Cum @ 7200/Cum

Total Excess Payment = 416.89*7200 = रु. 30,01,605/-

SDBC के लिए (तालिका विवरण)

H. M. Plant Register से निकली कुल मात्रा = 4115.385 मीट्रिक टन

मात्रा Cum में = 4115.385/2.25 = 1829.06 Cum

Bill में मात्रा = 2002.56 Cum

Difference = 173.5 Cum @ 7700/Cum

Total Excess Payment = 173.5 *7700 = रु. 13,35,950/-

Total Excess Payment on BM+SDBC = रु. 43,37,950/-

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या इकाई ने अपने प्रस्तर में बतलाया कि अनिस्तारित प्रस्तरों का अनुपालन आख्या महालेखाकर कार्यालय देहरादून को प्रस्तुत कर दी जायेगी।	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्यु क्ति
			इकाई ने अपने प्रस्तर में बतलाया कि अनिस्तारित प्रस्तरों का अनुपालन आख्या महालेखाकर कार्यालय देहरादून को प्रस्तुत कर दी जायेगी।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- शून्य -

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए:

(I) किसी भी निर्माण कार्य से संबन्धित निविदा आमंत्रण संबंधी दस्तावेज , प्रचार प्रसार दस्तावेज़, तुलनात्मक विवरण, समाचार पत्रों की छायाप्रति ठेकेदार द्वारा अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए है ।

2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो.नि.वि., अल्मोड़ा का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री अनिल पांगती	अधिशासी अभियंता	19/08/2014 से 03/01/2018 तक
2.	श्री अनिल चन्द्र त्रिपाठी	,,	03/01/2018 से 31/03/2018 तक
3.	श्री राजीव मुरानी	,,	01/04/2018 से 19/05/2018 तक
4.	श्री चतुर लाल	,,	19/05/2018 से वर्तमान तक

4.विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबंध रहे।

अ. श्री अरविंद कुमार 01/01/16 से 07/2017 तक

ब. श्री ओम प्रकाश मीज 07/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक खण्ड-II